'डीडीएमए ने सभी पाबंदियों को हटा लिया है, क्योंकि स्थिति सुधरी है। लोगों को नौकर जाने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।'
—— अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग को जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा।
—— नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

संक्षिप्त खबरें

जयंती पर प्रो.बलराज मधोक को किया याद

नई दिल्ली । केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्रो.बलराज मधोक के 102वें जन्मदिन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कहा कि प्रो.मधोक हिन्दुत्व की राजनीति के जनक थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर अक्टूबर 1951 में की और 1954 में डा. मुखर्जी के निधन के पश्चात उन्होंने पूरी बागडोर संभालकर आगे बढ़ाया। वह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष व दो बार सांसद भी रहे। इस मौके पर परिषद के राष्ट्रीय मंत्री प्रवीन आर्य ने कहा कि प्रो. मधोक स्वाभिमानी थे।

मनोनीत पार्षदों को सत्यापन का अधिकार नहीं : महापौर

नई दिल्ली । पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल बताया कि कुछ मनोनीत निगम पार्षद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड व लाइब्रेरी कार्ड आदि के फार्म को सत्यापित कर रहे है, उनको सत्यापन कराने का अधिकार नहीं है, वे जनता के साथ धोखा कर रहे है। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि डीएमसी एक्ट में किए गए प्रावधानों के अनुसार मनोनीत पार्षद निगम की बैठक में केवल हिस्सा ले सकते है, जबकि उनको निगम की बैठक में मतदान का अधिकार भी नहीं है।

नौकरी की मांग कर रही नर्सों को बर्खास्त करने के विरोध में शुक्रवार को आरएमएल अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करता नर्सिंग स्टाफ। फोटो : एसएनबी

एसडीएमसी ने स्कूलों में धार्मिक पोशाक पहनने पर लगाई रोक

नई दिल्ली (एसएनबी)। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की शिक्षा समिति ने अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी छात्र-छात्रा 'धार्मिक पोशाक' पहन कर एसडीएमसी के स्कूलों में न आए। एसडीएमसी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष नितिका शर्मा ने इस मामले में एसडीएमसी के शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है।

पत्र में शर्मा ने शिक्षा निदेशक से सभी जोनल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने को कहा है कि एसडीएमसी के प्राथमिक स्कूलों में छात्र-छात्राएं 'धार्मिक पोशाक' पहनकर न आएं और उन्हें निर्धारित ड्रेस कोड में ही स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए।

एसडीएमसी का यह फैसला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के तुखमीरपुर इलाके में एक अभिभावक द्वारा यह आरोप लगाए जाने के कुछ दिन बाद आया है कि सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने उसकी बेटी से सिर पर बंधा 'स्कार्फ' हटाने को कहा था। शर्मा ने तर्क दिया कि 'धार्मिक पोशाक' पहनकर कक्षा में शामिल होने से छात्र-छात्राओं के बीच 'असमानता' का भाव पैदा होगा।

उन्होंने कहा कि एसडीएमसी के शिक्षा निदेशक से जोनल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने को कहा गया

शिक्षा समिति की अध्यक्ष ने एसडीएमसी के शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र

केवल फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता या त्योहारों के दौरान ही 'धार्मिक पोशाक' पहन सकते हैं विद्यार्थी

है कि छात्र-छात्राएं धार्मिक पोशाक में स्कूलों में न आएं। उन्होंने कहा कि एसडीएमसी के स्कूलों के लिए एक उचित ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है और छात्र-छात्राओं को इसका पालन करना चाहिए। हम हर साल बच्चों को स्कूल ड्रेस मुफ्त में देते हैं, ताकि वे स्कूल आते समय धार्मिक पोशाक के बजाय इसे पहनें।' हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र-छात्राएं स्कूलों में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता या त्योहारों के दौरान 'धार्मिक पोशाक' पहन सकते हैं।

दक्षिणी निगम के कक्षा पांच तक के लगभग 568 स्कूलों का संचालन करता है। इन स्कूलों में करीब 2.5 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। पत्र में शर्मा ने लिखा कि हाल-फिलहाल में देखा गया है कि कुछ माता-पिता अपने बच्चों को धार्मिक पोशाक में स्कूल भेज रहे हैं, जो सही नहीं है। इससे छात्र-छात्राओं में असमानता का भाव विकसित हो सकता है, जो उनके भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।' शर्मा ने कहा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि छात्र-छात्राएं केवल प्रतियोगिताओं या त्योहारों के दौरान स्कूल के यूनिफार्म से इतर पोशाक पहनें। सामान्य दिनों में वे स्कूल के यूनिफार्म में ही स्कूल में उपस्थित हों। पत्र में दावा किया गया है कि छात्र-छात्राओं के लिए ऐसी ड्रेस निर्धारित की गई है, जिसमें वे खूबसूरत दिखते हैं। इसमें कहा गया है कि एसडीएमसी जरूरत पड़ने पर ड्रेस का रंग बदलता रहता है, जिससे अमीर और गरीब बच्चों के बीच कोई हीन भावना नहीं पनपती।

बीएसईएस ने शुरू किया पहला ईवी स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने की पहल के मद्देनजर बीएसईएस ने शुक्रवार को पहला स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन वाहन चालकों को सौंप दिया। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में शुरू इस स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष शबीहुल हसनैन शास्त्री एवं सदस्य डॉ. एके अंबष्ट ने किया। इस स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन की खास बात यह है कि विशेष परिस्थिति में यहां से बिजली के भार को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। बीएसईएस का कहना है कि यह चार्जिंग स्टेशन मोबाइल ऐप प्रणाली से जुड़ा है। कोई भी वाहन चालक अपना स्लॉट पहले ही बुक करा सकते हैं और चार्जिंग के बाद भुगतान कर सकते हैं। यहां एक साथ पांच वाहन चार्ज हो सकते हैं। आपात स्थिति में इस स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन के भार को कम कर बिजली अस्पताल, स्कूल, एसटीपी आदि को दी जा सकती है। कंपनी प्रवक्ता ने बताया कि इसी तरह के स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन जल्द ही दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे। प्रवक्ता के मुताबिक नॉर्डिक देशों की सरकार के सहयोग एवं नॉर्डिक इनोवेशन के वित्तीय सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। उदघाटन समारोह में डीईआरसी के एडवाइजर एवं पूर्व सदस्य एके सिंघल, बिजनेस फिनलैंड के कंट्री डायरेक्टर डॉ जुक्का होलप्पा और फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव के अधिकारियों के अलावा बीवाईपीएल के सीईओ अमरजीत सिंह, बीआरपीएल के सीईओ राजेश बंसल भी उपस्थित थे।

मोबाइल ऐप से भी जुड़ा है चार्जिंग स्टेशन

दिल्ली हाईकोर्ट को मिले चार और नए जज

नई दिल्ली (एसएनबी)। केंद्र सरकार की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाईकोर्ट में चार नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी है । ऐसा पहली बार है कि जब एक केंद्रीय कानून सचिव अनूप कुमार मेंदीरत्ता को भी हाईकोर्ट का जज बनाया गया है। नियुक्त होने वाले सभी जज सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी है।

मेंदीरत्ता को अक्टूबर 2019 में कानून सचिव बनाया गया था। इससे पहले वे दिल्ली में एक न्यायिक अधिकारी थे। तब भी पहली बार था, जब किसी सेवारत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को केन्द्रीय कानून सचिव बनाया गया था। मेंदीरत्ता के अलावा, तीन अन्य न्यायिक अधिकारियों नीना बंसल कृष्णा, दिनेश कुमार शर्मा और सुधीर कुमार जैन को भी दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया है।

न्याय विभाग ने शुक्रवार को नई नियुक्तियों के बारे में ट्वीट करके यह जानकारी दी है। इन सबको जल्द दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब-तलब

नई दिल्ली (एसएनबी)। चाइल्ड केयर होम में एक बच्ची का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दोनों से अपना जवाब देने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। यह जवाब तलब बच्ची की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

बच्ची की मां ने आरोप लगाया है कि चाइल्ड केयर होम में क्रिश्चियन धर्म का प्रवचन देकर उसकी नाबालिग बेटी का धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसके अलावा उसे प्रताड़ित भी किया गया। इसलिए उसे पांच करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। लड़की की मां ने इसके साथ ही बाल रक्षा संबंधी कानून की कई धाराओं एवं नियमों को भी चुनौती दी है। इसके अलावा बाल कल्याण समिति के अधिकारों को भी चुनौती दी है।

महिला की ओर से अधिवक्ता दिव्यांशु पांडेय ने कहा है कि बाल कल्याण समिति ने उनकी बेटी को चाइल्ड केयर होम में भेजा था। वहां पर उसके साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया बल्कि धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग बेटी को दो गैर सरकारी संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फंसाया है। उसके बाद एनजीओ कर्मियों ने उसकी बेटी से यौन शोषण की झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में बाल कल्याण समिति के समक्ष उसकी बेटी को पेश किया गया। इसके बाद समिति ने उसकी बेटी को चाइल्ड केयर होम में भेज दिया।

याचिका में बाल न्याय (संरक्षण एवं देखरेख) अधिनियम 2015 और बाल न्याय (संरक्षण एवं देखरेख) मॉडेल नियम 2016 के तहत बाल कल्याण समिति को दिए गए अधिकारों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि समिति ने उसके और उसकी बेटी के मौलिक अधिकारों का हनन किया।

चाइल्ड केयर होम में क्रिश्चियन धर्म का प्रवचन देकर नाबालिग बेटी का धर्म परिवर्तन कराया गया : याचिकाकर्ता

लड़की की मां ने बाल रक्षा संबंधी कानून की कई धाराओं एवं नियमों को भी चुनौती दी

JUBILANT FOODWORKS

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

सीआईएनः L74899UP1995PLC043677

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
कॉरपोरेट कार्यालयः 5वीं मंज़िल, टॉवर डी, लोजिक्स टैक्नो पार्क, सेक्टर 127, नोएडा–201 304, उत्तर प्रदेश
फोनः +91-120-4090500, फैक्सः +91-120-4090599
वेबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

डाक मतदान सूचना एवं ई–वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021 तथा 20/2021 दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021 (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर्स"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") के विनियम 44 एवं 47 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों, सर्कुलर्स तथा अधिसूचनाओं (उनके किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनर्अधिनियमन जो अस्थायी रूप से लागू है, के सहित) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड ("कम्पनी") के शेयरधारकों का अनुमोदन निम्नलिखित साधारण प्रस्तावों के लिए रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया ("ई–वोटिंग") के माध्यम से डाक मतदान द्वारा मांगा जा रहा है।

1. कम्पनी के इक्विटी शेयर्स के उप–विभाजन पर विचार और अनुमोदन करने हेतु
2. कम्पनी के संस्था ज्ञापन के कैपिटल क्लॉज के संशोधन पर विचार और अनुमोदन करने हेतु

एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, डाक मतदान सूचना ("सूचना") उन सभी शेयरधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जा चुकी है, जिनकी ई–मेल आईडीज़ कम्पनी / रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए") / डिपॉज़िटरी पार्टिसिपैंट ("डीपी") के पास पंजीबद्ध हैं और जिनके नाम कट–ऑफ तिथि शुक्रवार, 18 फरवरी, 2022 को डिपॉज़िटरीज़ द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलेखबद्ध हैं। सभी शेयरधारकों को ई–मेल द्वारा सूचना भेजने का कार्य शुक्रवार, 25 फरवरी, 2022 को पूरा किया जा चुका है। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा सैंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

एमसीए सर्कुलर्स के अनुसार तथा कोविड–19 महामारी द्वारा पैदा किए गए खतरे के कारण, इस डाक मतदान के लिए शेयरधारकों को सूचना, डाक मतपत्र और पूर्व–प्रदत्त व्यवसाय जवाबी लिफाफे भौतिक रूप में नहीं भेजे गए हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी सहमति अथवा असहमति केवल ई–वोटिंग के माध्यम से भेजें। जिन शेयरधारकों की ई–मेल आईडीज़ कम्पनी / आरटीए / डीपी के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे सूचना में उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग हेतु अनुदेशों का पालन करें। जिन शेयरधारकों ने अपनी ई–मेल आईडीज़ पंजीकृत नहीं करवाई हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसका पंजीकरण कम्पनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार करवा लें। ई–मेल आईडीज़ के सफल पंजीकरण के पश्चात्, ई–वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड शेयरधारक की पंजीकृत ई–मेल आईडीज़ पर भेजा जाएगा :

(i) शेयरधारक, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में धारण किए हुए हैं कम्पनी के आरटीए, के पास अपनी ई–मेल आईडी लिंक : https://linkintime.coin/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। तथापि ई–मेल आईडी के स्थायी पंजीकरण के लिए, शेयरधारकों से अपने संबंधित डीपी से सम्पर्क करने और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

(ii) शेयरधारक, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं कम्पनी के आरटीए, के पास अपना विवरण लिंक : https://linkintime.coin/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके पंजीकृत करवा सकते हैं।

(iii) विकल्पतः, शेयरधारक ई–वोटिंग के लिए यूज़र आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सूचना में वर्णित दस्तावेज उपलब्ध करवा कर helpdesk.evoting@cdslindia.com को अनुरोध भेज सकते हैं।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, समय–समय पर संशोधित, के नियम 20 और सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 के अनुसरण में, कोई व्यक्ति, जो कट–ऑफ तिथि को कम्पनी का शेयरधारक है, उसको सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट, ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से, डालने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी शेयरधारकों को सूचना दी जाती है कि :

1. शेयरधारक(कों) के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति, जो कट–ऑफ तिथि को कम्पनी का शेयरधारक नहीं है, उसको यह सूचना जानकारी मात्र के निमित्त समझनी चाहिए।
2. ई–वोटिंग अवधि शनिवार, 26 फरवरी, 2022 को (प्रातः 09.00 बजे भारतीय समयानुसार) आरंभ होगी तथा रविवार, 27 मार्च, 2022 को (सायं 05.00 बजे भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी। शेयरधारकों से अपना वोट रविवार, 27 मार्च, 2022 को (सायं 05.00 बजे आईएसटी) से पहले डालने का अनुरोध है ताकि वह वैध व मान्य हो, अन्यथा यह माना जाएगा कि वोट डाला नहीं गया है। सीडीएसएल द्वारा उसके पश्चात् ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें बदलने की अनुमति नहीं होगी।
3. इस अवधि में, भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक अपना वोट ई–वोटिंग द्वारा डाल सकते हैं।
4. विस्तृत प्रक्रिया और ई–वोटिंग की विधि सूचना में दी गई है।
5. सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न अथवा समस्या की स्थिति में आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई–मेल लिख सकते हैं अथवा अथवा टोल फ्री नंबर : 022-23058738 तथा 022-23058542/43 कॉल कर सकते हैं अथवा श्री राकेश दाल्वी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड, ए–विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई–400013 से सम्पर्क करें, जो इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग संबंधी सभी शिकायतों का निवारण करेंगे।
6. कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री रूपेश अग्रवाल, (सदस्यता संख्या एसीएस 16302) को प्रबंध भागीदार नियुक्त किया है, असफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, (सदस्यता संख्या एसीएस 28994), पार्टनर, मैसर्स चंद्रसेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरिस को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
7. ई–वोटिंग द्वारा डाक मतदान के परिणामों की घोषणा ई–वोटिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात् दो कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी तथा संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे और इसकी सूचना बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी।

कृते **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड**
हस्ता/–
(मोना अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

दिनांकः 25 फरवरी, 2022
स्थानः नोएडा (उत्तर प्रदेश)

आर्थिक मार झेल रहे स्कूल बस ऑपरेटर आए आक्रामक मुद्रा में

नई दिल्ली (एसएनबी)। कोरोना से पिछले दो वर्षों से आर्थिक मार झेल रहे स्कूल बसों का संगठन अब आक्रमक मुद्रा में आ गया है और स्कूलों के साथ-साथ सरकार के साथ भी दो-दो हाथ करने को तैयार है। दिल्ली कान्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन (डीसीबीए) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जब तक पिछले दो वर्षों के दौरान का रोड टैक्स समेत परमिट/फिटनेस फीस और डिम्ट्स फीस पेनाल्टी को माफ नहीं करती है तब तक वह लोग अपनी बसों को स्कूलों में नहीं चलाएंगे। इन दो सालों के दौरान कोरोना से स्कूली बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद था व बसों से आय नहीं हुई। बस एसोसिएशन ने इसके साथ ही स्कूलों को भी अल्टीमेटम दिया है कि दो वर्षों के दौरान बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए स्कूल बसों के मासिक किराये में कम से कम 30 फीसद की बढ़ोतरी की जाए।

डीसीबीए के महासचिव डा. हरीश सभरवाल ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्कूल वाले किराये के नाम पर हर महीने लाख-डेढ़ लाख रुपया कमाते हैं और बस ऑपरेटर को महज 50-70 हजार रुपए ही देते हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2020 में जब कोरोना फैला तो स्कूलों ने अभिभावकों से बस किराये के रूप में पैसा वसूल लिया और बस मालिकों को फरवरी और मार्च 2020 का किराया तक नहीं दिया। अगर स्कूल बंद था तो स्कूल को चाहिए था कि वह ईमानदारी दिखाते हुए बस भाड़ा अभिभावकों को वापस लौटा देते।

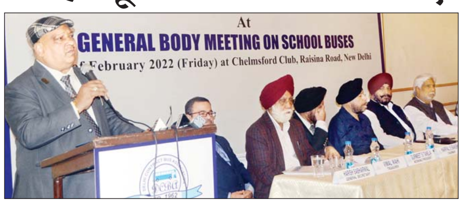

चेम्सफोर्ड क्लब में शुक्रवार को आयोजित बैठक में डीसीबीए के पदाधिकारी। फोटो : एसएनबी

उन्होंने कहा कि अब धीरे-धीरे स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं लेकिन पिछले दो वर्षों के दौरान खड़े-खड़े ही बसें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। ऐसे में बसों को फिर से चलाने के लिए कम से कम तीन लाख रुपए की जरूरत है। हमारी मांग है कि मुंबई और गुजरात की तरह हमें भी तीन लाख रुपए का सॉफ्ट लोन दिया जाए जिसे बस ऑपरेटर तीन साल के दौरान ईएमआई में चुका देंगे। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने अपनी मांगों का ज्ञापन उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव सह आयुक्त (परिवहन विभाग) और सचिव (शिक्षा विभाग) को दिया है।

बस चालकों की दिल्ली सरकार ने कोई मदद नहीं की : उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भी हल्ला बोलते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना काल के दौरान ऑटो चालकों को पांच-पांच हजार रुपए की सहायता राशि दी थी, लेकिन स्कूल बस चालकों को यह राशि भी नहीं मिली। जबकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ही दूसरा सबसे बड़ा करदाता है। हमारे टैक्स के पैसे से ही दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त पानी, बिजली, वाई फाई और राशन बांट रही है और हमारे ड्राइवर खाने को तरस रहे हैं। कई ऑपरेटर तो इतने आर्थिक संकट में आ गए हैं कि उनका घर से लेकर पत्नी के गहने तक गिरवी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों की उम्र सीमा दो वर्ष बढ़ा दी है, जबकि कानून सभी के लिए है। एसोसिएशन की मांग है कि दो वर्षों से पार्किंग में खड़ी बसों की उम्र सीमा डीटीसी की तरह दो वर्ष बढ़ाई जाए।

एसोसिएशन ने की रोड टैक्स/परमिट/फिटनेस और पेनाल्टी माफ करने की मांग

बसों को चलाने के लिए मांगा तीन लाख का सॉफ्ट लोन

मांगें नहीं माने जाने पर बसें न चलाने का किया फैसला

एलजी, सीएम, परिवहन मंत्री, शिक्षा विभाग के सचिव को सौंपा ज्ञापन

जीटीबी अस्पताल में डिजिटल सुविधाओं का होगा विस्तार

■ ज्ञानप्रकाश

नई दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण का प्रयास कर रही है। दिल्ली में बिस्तरों के मामले में बड़े अस्पतालों में से एक गुरुतेग बहादुर अस्पताल को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अस्पताल में 200 बेड और जोड़े जाएंगे। अस्पताल परिसर में नए वार्ड ब्लॉक, ओपीडी ब्लॉक, जांच केंद्र और ओपीडी डिजिटल सेवा शुरू की जाएगी।

वेटिंग भी होगी खत्म : दिल्ली सरकार में विशेष स्वास्थ्य सचिव एसएम अली के अनुसार जीटीबी के अलावा दिल्ली के अन्य अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक करने की योजना तैयार की गई है। जीटीबी अस्पताल परिसर में नवनिर्मित नई बिल्डिंग को डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसमें आग से बचाव के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। यहां ओपीडी में डिजिटल पंजीकरण के लिए अत्याधुनिक क्योस्क मशीनें लगाई जाएंगी। नई इमारत में लगे चिकित्सकीय उपकरणों को अपग्रेड किया जा रहा है। ओपीडी में कियोस्क की मदद से मरीज अपनी जानकारी टाइप कर डिजिटल तरीके से स्वयं पंजीकरण कर सकेंगे। पहले चरण में 4 कियोस्क मशीनें लगाई जा रही हैं। दवा काउंटर, पैथलैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा त्वरित गति से प्रदान की जाएगी। मरीजों को जांच के लिए इंतजार करने से मुक्ति मिलेगी।

क्योस्क की मदद से मरीज खुद कर सकेंगे पंजीकरण

अस्पताल में जोड़े जाएंगे 200 नए बेड

अब आसानी से मिलेंगी दवाएं : जन औषधि केंद्र में मरीजों की लंबी लाइन को कम करने और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मदद ली जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि कैंसर, मधुमेह, अंतःस्रावी ग्रंथियों, अस्थि विकृति, स्नायु तंत्रिका संबंधी दिक्कतों वाले मरीजों को दवा लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस समस्या के समधान के लिए जनऔषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। उधर, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 1920 बेड का नया वार्ड ब्लॉक जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के पास नए जांच केंद्र में आधुनिक एमआरआई मशीन लगाई जाएगी। जून तक नई इमारत में मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

अदालत ने एनआईए के पूर्व एसपी व मानवाधिकार कार्यकर्ता को भेजा जेल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को एनआईए के पूर्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरविंद दिग्विजय नेगी, कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और अन्य को एक महीने की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने आरोपी व्यक्तियों को 24 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। उन्होंने अरोपियों को तब न्यायिक हिरासत में भेजा, जब उन्हें एनआईए द्वारा हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया गया। एजेंसी ने एनआईए के पूर्व एसपी नेगी को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण से संबंधित मामले भी शामिल हैं। एनआईए ने आरोप लगाया था कि आरोपी लश्कर-ए-तय्यबा के ओवरग्राउंड वर्कर का एक नेटवर्क चला रहे थे और पूरे भारत में व्यक्तियों की भर्ती की। एजेंसी ने कहा कि साजिश के तहत, आरोपी विदेश स्थित अपने आकाओं के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सुरक्षा बलों के साथ-साथ आतंकवादी हमलों के लिए लक्षित स्थानों की पहचान करने में लगे थे।

आतंकी वित्तपोषण का मामला